-1

कार्यालयः समेकित जनजाति विकास अभिकरण, जामताड़ा

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

जामताड़ा जिलान्तर्गत झारखण्ड सरकार कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों, में पोषाक सामग्री आपूर्ति हेतु G.S.T. निबंधित विक्रेताओं से दर निर्धारण हेतु दिनांक–12.09.2019 को मध्याह्न 12:00 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए.,जामताड़ा के कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक ही प्राप्त किया जाएगा तथा उसी दिन दिनांक–12.09.2019 को अपराह्न 03:00 बजे में उप विकास आयुक्त, जामताड़ा के कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। निविदा में आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों की विवरणी एवं निविदा की शर्तें झारखण्ड सरकार के वेबसाईट **www.jamtara.nic.in** पर अथवा सूचना पट्ट पर भी देखा जा सकता है।

ह0

उप विकास आयुक्त–सह–
परियोजना निदेशक,
आई.टी.डी.ए., जामताड़ा।

ज्ञापांक 1247 /आई.टी.डी.ए., जामताड़ा, दिनांक 30-08-2019

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ प्रेषित। निविदा आमत्रंण सूचना के साथ संलग्न निविदा शर्ते एवं सामग्रियों की सूची झारखण्ड सरकार के वेबसाईट **www.jamtara.nic.in** पर आमलोगों की जानकारी हेतु अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। उपरोक्त अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना का शीघ्र प्रकाशन सुनिश्चित कराई जाय।

प्रतिलिपि : उपायुक्त, जामताड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक : यथोक्त।
1. विज्ञापन शर्त एवं सामग्रियों की सूची 02 पृष्ठों में।

उप विकास आयुक्त–सह–
परियोजना निदेशक,
आई.टी.डी.ए., जामताड़ा।

निविदा की शर्त्ते :–

(A) तकनीकी निविदा :–

1. निविदा के साथ पोशाक हेतु कुल– 10,000/–(दस हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति राशि के रूप में **परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए., जामताड़ा** के पद नाम से देना होगा।
2. निविदा के साथ निविदादाता को तकनीकी वीड लिफाफा में अद्यतन आयकर, विवरणी, जी.एस.टी.. का अद्यतन विवरणी, पैन कार्ड की छायाप्रति, अग्रधन राशि का ड्राफ्ट्र एवं संबंधित संस्था का G.S.T. निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। एकल दर से अधिक दर अंकित करने पर उक्त सामग्री दर की मान्यता नही दी जायगी एवं उक्त सामग्री को दूसरे सुसंगत दर को अधिकतम दर होने पर भी प्राथमिकता दे दी जायगी।
3. आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियॉ निम्न प्रकार है :–

01. पोषाक आपूर्ति

Sl. No.	Items of Uniform	Class	Shade, Material, Colour and Quantity	
			Boys	Girls
1	2	3	4	5
1	Sports Uniform	I-X	Navy Blue Polyester Track pant (Full) and Polyester V-Neck T-Shirt with collar (Half Sleeves)	Navy Blue Polyester Track pant (full) and Polyester V-Neck T-Shirt with collar (Half Sleeves)
2	Track shoot	I-X	Good Quality	Good Quality

(B) वित्तीय निविदा :–

01. निविदादाता को उपरोक्त सामग्रियों का एक ही दर निविदा में अंकित करना होगा एवं एक ही नमूना निविदा समिति के समक्ष लाना अनिवार्य होगा। एक से ज्यादा दर एवं नमूना मान्य नही होगा एवं उनके निविदा पर विचार नही किया जाएगा। निविदित सामग्री का नाम एवं दर स्पष्ट लिखा हुआ होना चहिए। ओभर राईटिंग/कंटिग/अस्पष्ट लिखा हुआ सामग्री का नाम अथवा दर मान्य नहीं होगा।

(C) अन्य शर्ते :–

01. (क) तकनीकी वीड एवं (ख) वित्तीय वीड को एक बड़ा लिफाफा में अपने पूर्ण पता एवं मुहर के साथ परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए., जामताड़ा के पद नाम से वर्ष 2018–19 के लिए निविदा अंकित कर सीलबंद कर जमा करना होगा। सर्वप्रथम तकनीकी वीड लिफाफा क्रय समिति के समक्ष खोला जायगा। तकनीकी अर्हता प्राप्त निविदादाता को ही मुख्य निविदा (वित्तीय वीड) में शामिल किया जायेगा।

02 स्वीकृत निविदादाता को संबंधित आवासीय विद्यालय में सामग्री (पोशाक) की आपूर्ति विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों का नाप के लेकर नाप के अनुरूप करना होगा, जिसके लिए अलग से परिवहन व्यय/किसी प्रकार का कर एवं हथालन का दावा मान्य नहीं होगा।

03. निविदा में ही सभी प्रकार का कर एवं हथालन समाविष्ट कर सामग्री दर अंकित करना होगा।

04. मदवार उपलब्ध आंवटन के अनुसार ही सामग्री की आपूर्ति की जायेगी। आवंटन की अनुपलब्धता की स्थिति में स्वीकृत निविदित सामग्री की आपूर्ति नहीं ली जायेगी।

05. आवासीय विद्यालय में पोशाक सामग्रियों की आपूर्ति हेतु चयनित आपूर्तिकर्त्ता को आदेश निर्गत की तिथि से दस दिनों के अंदर सामग्री की आपूर्ति नमूना के अनुरूप करनी होगी।

06. निविदादाता का नाम कहीं भी किसी भी आपूर्ति के मामले में काली सूची में नाम दर्ज नहीं होना चाहिए। तत्संबंधी शपथ देना अनिवार्य होगा।

07. निविदित फर्म/प्रतिष्ठान की ईकाई का अपने पता पर होना अनिवार्य है। सत्यापन किये जाने पर गलत पाये जाने की स्थिति में तत्संबंधी फर्म/प्रतिष्ठान की अग्रधन राशि जब्त कर काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी।

08. आमंत्रित निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत तथा बिना कारण बतलाये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

उप विकास आयुक्त–सह–
परियोजना निदेशक,
आई.टी.डी.ए., जामताड़ा।